भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †744

उत्तर देने की तारीख- 07/02/2022

एनजीओ के द्वारा जनजातीय विकास

†744. डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से जनजातीय विकास के लिए कार्यक्रम लागू कर रही है;
(ख) यदि हां, तो अब तक चल रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;
(ग) 2004-14 और 2014-21 के दौरान किए जा रहे विकास के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन क्या है;
(घ) केंद्र सरकार द्वारा किन-किन राज्यों में आदिवासी महिलाओं के कल्याण हेतु ''आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना'' लागू की जा रही है.
(ड.) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल से महिला सशक्तिकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और
(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्रीमती रेणुका सिंह सरुता)

(क): जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय "अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान" की योजना को प्रशासित कर रहा है।

(ख): इस योजना का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के प्रयासों के माध्यम से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाना है। मंत्रालय ने चल रही और नई परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु एक समर्पित पोर्टल (ngo.tribal.gov.in) विकसित किया है। इस योजना के तहत बजट 110 करोड़ रुपये (बीई) है। योजना के विस्तृत दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट tribal.nic.in पर उपलब्ध हैं।

(ग): ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ): देश भर में अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए "आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)" नामक योजना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संगठन, द्वारा लागू की जा रही है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹ 2.00 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए 4% प्रति वर्ष की अत्यधिक रियायती दर पर 90% तक ऋण प्रदान करता है। यह योजना सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए है।

(ड.) से (च) : इस योजना के तहत 2019-20 से 31.12.2021 तक पश्चिम बंगाल से एनएसटीएफडीसी को बारह (12) प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और सभी 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी।

*****